

दिनांक - 09.04.2021

जेड/13/वी3/इ0/2020/09/00877/

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त
रेलवे सुरक्षा बल, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

विषय : पद्धति सुधार।

एक सतर्कता निवारक जांच के क्रम में पाया गया कि रेलवे सुरक्षा बल/पोस्ट/बरेली सिटी पर सहायक उप निरीक्षक के पास कोत का चार्ज है जबकि हथियारों की दैनिक निकासी एवं वापसी प्रत्येक पाली के रोजनामचा लेखक द्वारा की जा रही है, जिसके द्वारा हथियार और गोला बारूद के दैनिक निकासी और वापसी वाले पंजिका में ज्यादातर तिथियों में हथियार और गोली के वापसी की तिथि, समय तथा अन्य विवरण के साथ हस्ताक्षर नहीं किया गया है जो कि एक संगीन अनियमितता है (प्रति संलग्न)।

हथियार और गोला बारूद के दैनिक निकासी और वापसी पंजिका पोस्ट की महत्वपूर्ण पंजिकाओं में से एक है जिसको सही से मेनटेन न करने पर हथियार एवं गोली की चोरी एवं उसके दुरुपयोग जैसी घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है जिससे रेलवे प्रशासन को भविष्य में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पोस्ट पर कोत का चार्ज एक ऐसे अनुभवी बल सदस्य के पास होना चाहिए जो हथियारों की दैनिक निकासी एवं वापसी, साफ-सफाई तथा सम्बंधित रिकॉर्ड स्वयं मेनटेन करे तथा जो हथियारों के प्रबंधन के बारे में जानकर हो और हर समय पोस्ट पर मौजूद रहे ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उसकी जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके। इसके अतिरिक्त कोत से हथियारों की दैनिक निकासी/वापसी तथा साफ-सफाई किसी एक अधीनस्थ अधिकारी के निर्देशन में किया जाय जो हथियार के बारे में जानकर हो। इस सम्बन्ध में सुझाए गए उपरोक्त पद्धति सुधार तत्काल प्रभाव से लागू कराये जाने का अनुरोध है जिससे भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो।

उक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्नक : (34)


(साक्षर)
उपमुसतावि/विद्युत
कृते महाप्रबन्धक सतर्कता